

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौड़गढ (राज.)

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 306/25

दायर दिनांक. 22/09/2025

निर्णय दिनांक. 22/09/2025



क्र.सं.	नाम-गण	स्थान	रिपोर्ट			
1	श्रीमती	103	<p>गहोदय जी, निवेदन है कि मुत्ताधिक भारत सरकार के फरवरी 2017 परिपत्र से स्टेट बैंक ऑफ वीकनर एण्ड जयपुर को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया में मर्ज किया गया। अतः स्टेट बैंक ऑफ वीकनर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी गहोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टी</p> <p>स्टेट बैंक ऑफ वीकनर एण्ड जयपुर</p> <p>शुद्ध प्रविष्टी</p> <p>स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया</p> <p>हस्ताक्षर (म.अ.) कपासन</p> <p>हस्ताक्षर (म.अ.) कपासन</p> <p>हस्ताक्षर (म.अ.) कपासन</p> <p>हस्ताक्षर (म.अ.) कपासन</p> <p>हस्ताक्षर (म.अ.) कपासन</p>			
प्रतिलिपि पालनाथ:-			<p>कपासन उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश</p> <p>तहसीलदार कपासन की अनुशाषा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अध्यापीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम <u>श्रीमती</u> प.ह. <u>श्रीमती</u> खातासं. <u>103</u> में वर्तमान प्रविष्ट स्टेट बैंक ऑफ वीकनर एण्ड जयपुर का नाम परिवर्तन कर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p> <p>पदेन सहायक कलक्टर कपासन</p>			

1. पटवारी पटवार मण्डल श्रीमती को भोजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करें।

तहसीलदार कपासन

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कपासन जिला-चितौड़गढ